सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी, राजस्थान-333031

13-3 (26)/2021-ईएमई **दिनांक : 18.02.2022**

परिपत्र

विषय : संस्थान कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के लिए एंबुलेंस सुविधा।

संस्थान के सभी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि संस्थान द्वारा एक एम्बुलेंस खरीदी गई है जिसकी पंजीकरण सं. **RJ-18 PB 2171** है और यह सोमवार, दिनांक 21.02.2022 से अपने कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। रोगियों (कार्मिकों, आश्रितों एवं पेंशनरों) को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश/ मानदंड निम्नानुसार हैं:-

1. एम्बुलेंस की सुविधा कॉलोनी / पिलानी शहर में रहने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। दुर्घटनाओं, जलने से लगने वाली चोटों, दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक आदि जैसे खतरनाक मामलों और आवासीय चिकित्सा अधिकारी (RMO) द्वारा यथानिर्धारित अन्य मामलों में ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

2. जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली के अस्पतालों एवं आपात स्थिति में आवासीय चिकित्सा अधिकारी (RMO) द्वारा यथानिर्धारित किसी भी स्थान के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

3. रोगी को आरएमओ द्वारा अनुशंसित यथानिर्धारित अस्पताल में छोड़ने के तुरंत बाद एम्बुलेंस मुख्यालय वापस लौट जाएगी। आम तौर पर अस्पताल से छुट्टी दिए गए मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

एंबुलेंस के लिए माँग-पत्र संस्थान की वेबसाइट के अलावा संस्थान के गेट पर भी उपलब्ध है।

एस के मित्तल

(एस के मित्तल)
प्रमुख, ईएमई प्रभाग

प्रतिलिपि :

1. निदेशक के वैयक्तिक सहायक
2. प्रशासन नियंत्रक के प्रधान निजी सचिव
3. प्रशासनिक अधिकारी वैयक्तिक सहायक
4. निवासी चिकित्सा अधिकारी
5. सूचना पट्ट